उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

चतुर्थ तल, ए–ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010
दूरभाष : 0522–2720360,2723947 फैक्स: 0522–2721135
Website : www.upsacs.nic.in

पत्रांक : एड्स सोसा0 / आधि0/कार्मिक/चाय/2014-15/2900 दिनांक 7/02/17.........

प्रस्ताव आमंत्रण

सेवा में,

संलग्न सूची के अनुसार

....

....

विषयः सोसाइटी में चाय की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध आमंत्रण पत्र।

महोदय,

सोसाइटी कार्यालय में कैन्टीन व्यवस्था के अन्तर्गत लगभग 60 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिदिन दो बार (सुबह एवं शाम) चाय की आपूर्ति सामान्य कार्यालय दिवसों में (औसतन 20 दिन) मासिक एवं अतिरिक्त प्रतिचाय दर पर अनुबन्ध किये जाने हेतु निम्न सेवा–शर्तो पर प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	विवरण	मात्रा	दर सभी करों सहित (रू)	
			वास्तविक दर	सब्सिडाइज्ड दर
1	मासिक आधार पर	120 कप प्रतिदिन (सुबह/शाम) सामान्य कार्यालय दिवसों में औसतन 20 दिन		
2	अतिरिक्त चाय प्रतिकप	01 कप		

सोसाइटी स्तर पर उपलब्ध सुविधाएँः–

✓ फर्निस्ड किचेन (बिजली, पानी इत्यादि)।

सेवा शर्तेः–

1. प्रस्तावक द्वारा सम्बन्धित सामग्री, उपकरण (गैस, केटली, पेपर कप, क्राकरी, ट्रे इत्यादि) सम्बन्धी व्यवस्था अपने स्तर पर की जाएगी तथा काकरी, खाना बनाने के बर्तन, रसोई घर की साफ–सफाई के लिए प्रस्तावक जिम्मेदार होगा।
2. प्रस्तावक द्वारा वितरण सम्बन्धी व्यवस्था अपने स्तर पर की जाएगी तथा वह अपने कर्मचारियों के सामान्य अनुशासन तथा विनम्र व्यवहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा। प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि वितरण कर्मचारी द्वारा साफ कपड़े पहने जाएं, व्यक्तिगत सफाई रखी जाय तथा वितरण में अनुशासन का पालन किया जाए।
3. प्रस्तावक केवल ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करेगा जिसकी स्वीकृति सोसाइटी द्वारा प्रदान की गयी हो। हालांकि प्रबन्धन के पूर्व अनुमोदन के साथ मेनू में (रेट तथा मात्रा के साथ) अधिक वस्तुओं को भी शामिल किया जा सकता है। सोसाइटी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त चाय के अतिरिक्त किसी भी क्रेडिट बिक्री के लिए आपूर्तिकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

4. चाय आपूर्ति सामान्य कार्यालय दिवसों में की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर रविवार एवं अन्य छुट्टियों में कैन्टीन को खोलने हेतु निर्देशित किया जा सकता है, जिसका भुगतान वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा।
5. कोटेशन में प्रति चाय एवं प्रतिमाह दरें **सभी कर** सम्मिलित करते हुए **अंकित करें। अनुबन्ध अवधि के दौरान रेट/दर में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा।**
6. प्रस्ताव में उल्लिखित कार्य/आपूर्ति समयबद्ध एवं उच्च गुणवत्ता से सम्बन्धित है। सफल प्रस्तावक को अनुबन्ध में दिये गये सीमा अवधि के अनुसार संन्तोषजनक कार्य/आपूर्ति करना होगा।
7. आपूर्तित सामग्री में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर आपूर्तित सामग्री के बीजक के भुगतान से कटौती करने का पूर्ण अधिकार सोसाइटी को होगा।
8. प्रस्ताव की **वैधता** कोटेशन खोले जाने की तिथि से **तीन माह** तक के लिए होगी।
9. कोटेशन प्रस्ताव पत्र पर फर्म का पूर्ण पता अंकित होना अनिवार्य है। प्रस्ताव के लिफाफे पूर्णतः सील होने चाहिए। प्रस्ताव फर्म के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये तथा उस पर फर्म की मुहर अनिवार्य रूप से लगी होनी चाहिए।
10. सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निम्न Documents प्रस्तुत करने होंगेः–
    - (a) **परियोजना निदेशक, उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ** के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी रू11,000/- का एफडीआर (जिसकी वैद्यता अनुबन्ध अवधि समाप्ति के 45 दिन बाद तक हो) सिक्योरिटी धनराशि के रूप में सोसाइटी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
    - (b) **रू0** 100/– **के नान–जूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर एक शपथ पत्र जिसमें कार्यादेश के सभी शर्तों को सशपथ स्वीकार करने की उद्घोषणा उल्लिखित हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**
    - (c) अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष की होगी। प्रोवेशन अवधि कार्यादेश तिथि से तीन माह की होगी, इस अवधि में सेवाएं/सामग्री की आपूर्ति सन्तोषजनक होने पर ही अनुबन्ध एक वर्ष के लिए वैध होगा। असन्तोषजनक सेवाओं/सामग्री की आपूर्ति की दशा में किसी भी समय एक माह की नोटिश देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। सन्तोषजनक सेवा होने पर आवश्यकतानुसार अग्रेतर एक वर्ष के लिए भी सेवा विस्तार दिया जा सकता है।
11. प्रस्ताव सोसाइटी कार्यालय में दिनांक 14.02.2017 को अपरान्ह 3:30 बजे तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए। दिनांक 14.02.2017 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रस्ताव क्रय समिति द्वारा खोले जाएंगे।
12. सोसाइटी को यह अधिकार होगा कि वह बिना बताए किसी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप मे स्वीकार/अस्वीकार कर सके।
13. प्रस्तावित कार्य में किसी भी प्रकार की हानि/घटना घटित होने की स्थिति में सोसाइटी किसी भी दावे की जिम्मेदार नहीं होगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
14. किसी भी समय अनुबन्ध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार परियोजना निदेशक को होगा, एवं प्रस्ताव में संशोधन का अधिकार सोसाइटी के पास सुरक्षित है।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में परियोजना निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

भवदीय,

(भरत कुमार मिश्र)
संयुक्त निदेशक,(क्रय)

चाय आपूर्तिकर्ता फर्मो की सूची

1. **मे0 वेज एक्सप्रेस,**
   सी–2120 इन्दिरा नगर,
   लखनऊ–226016

2. **मेसर्स गुडलाइफ,**
   विपुल प्लाजा, बैंक ऑफ बडौदा के नीचे,
   विपुल खण्ड–03, गोमती नगर, लखनऊ।

3. **मेसर्स ए0 आर0 इन्टरप्राइजेज,**
   बी0–1029, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

4. **मेसर्स सरस फूड कॉर्नर,**
   पराग बूथ, निकट बेव माल,
   गोमती नगर, लखनऊ।

5. **मेसर्स संजय टी स्टॉल,**
   निकट लोहिया अस्पताल,
   गोमती नगर, लखनऊ।

6. **मेसर्स गुप्ता टी स्टाल,**
   निकट पिकप बिल्डिंग,
   गोमती नगर, लखनऊ।

7. **6. मे0 रसोईवाला,**
   रसोईवाला तिराहा, मुन्शीपुलिया,
   इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016।

8. **7. मे0 बेबियन,**
   बी–155, आशा आर्शिवाद बिल्डिंग,
   भूतनाथ मंदिर रोड, इन्दिरा नगर,
   लखनऊ–226016।

9. **मे0 चेफ 69 रेस्टोरेन्ट,**
   1/13, विनम्र खण्ड, निकट कठौता चौक,
   गोमती नगर, लखनऊ–226016

10. **मे0 शेख चिली रेस्टोरेन्ट,**
    बी–3/14, रोडवेज वर्कशॉप के विपरीत, विभूति खण्ड,
    गोमती नगर, लखनऊ–226010

11. **मे0 विन्डीज रेस्टोरेन्ट,**
    3/9, पत्रकारपुरम, विनय खण्ड,
    गोमती नगर, लखनऊ–226 010

12. **पे टू फूड्स एण्ड हास्पिटेलिटी प्रा0 लि0,**
    3/8, विभूति खण्ड रोड़, यूपीएसआरटीसी वर्कशॉप के सामने,
    विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

संयुक्त निदेशक, क्रय